33 नि/निग0/2018/60/05

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा, जिलारीवाम0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक

401—

आवेदक पत्र श्री रामाश्रय शुक्ला एड. द्वारा पेश 23-12-17

23-12-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1- बालकृष्णाशुक्ला पिता रघुवीर प्रसाद शुक्ला

2- द्रोराचार्य पिता रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

3- शंकराचार्य शुक्ला पिता सेतुबन्ध शुक्ला

4- श्यामकिशोरशुक्ला पिता सेतुबन्ध शुक्ला सभी निवासीग्राम खडौरा,

तहसील देवसर जिला सिगरौलीम0प्र0------ निगराकारगण

विरुद्ध

1-देवी प्रसाद चतुर्वेदी तनयस्व0 जगमोहन प्रसाद चतुर्वेदी

2- गिरिजा प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व0जगमोहन प्रसाद चतुर्वेदी

दोनो निवासीग्राम खडौरा, तहसील देवसर जिला सिगरौलीम0प्र0

----- गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व

संहितासन 1959ई0 ।

विरुद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारीमहोदय

देवसर जिला सिंगरौलीके प्रथम अपीलक्र0 24/

अपील/2015-16 मेपारित अन्तरिम आदेश

दिनांक 19-12-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2018/105

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, देवसर जिला सिंगरेली के प्रकरण कमांक 24/15–16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19–12–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार देवसर के प्रकरण कमांक 15 अ–5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 19–2–14 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 2–11–15 को बेरूम्याद अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने बेरूम्याद अपील में धारा–5 के आवेदन को गलत आधारों पर स्वीकार किया है क्योंकि बेरूम्याद अपील में दिन प्रतिदिन के विलम्ब का सकारण विवरण भी नहीं बताया गया है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के कम में अनुविभागीय अधिकारी, देवसर के आदेश दिनांक 19–12–17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सदभाविक मानकर विलम्ब क्षमा किया है। विचार योग्य यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, देवसर ने आदेश दिनांक 19–12–17 से विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। म0प्र0	

भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्वांत अंर्तग्रस्त हो, तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (**A.I.R.** 1987 **S.C.** 1353 से अनुसरित)

प्रेमनारायण राठौर बनाम म0प्र0 राज्य 2006 रा0नि0 351 का दृष्टांत है कि परिसीमा अधिनियम 1963 – धारा –5 – आक्षेपित आदेश की सूचना समय से नहीं दी गई – सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपील फाइल की गई– उदारतापूर्वक माफी प्रदान की जाना चाहिये – **A.I.R.** 1987 **S.C.** 1353 तथा 1997 रा.नि. 345 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित अनुविभागीय अधिकारी, देवसर जिला सिंगरेली के प्रकरण कमांक 24 / 15–16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19–12–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को एंव विलम्ब हेतु बताये गये कारणों को सदभावना पर आधारित होना पाने से अपील को समय–सीमा में माना है । विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य